



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 03 चैत्र, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 24 मार्च, 2006)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")।
3. मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएँ, यदि कोई हों।
6. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल में ग्राम गाँजा, छीणा में पेयजल टैंक व पाइप लाईन निर्माण के सम्बन्ध में" श्री जमन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल में मंगोली से गहमना तक जीप रोड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रमेश चन्द पन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकास खण्ड अन्तर्गत मुंगरा नौगांव को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री तिलक चन्द एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री प्रीतम सिंह पंगार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के चिन्वालीसौड़ मुख्यालय में सीवर लाईन निर्माण के सम्बन्ध में" श्री त्रिलोक चन्द रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
11. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
13. दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 को डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या-69 के उत्तर में संशोधन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का शोधन वक्तव्य।

(शोधन वक्तव्य के लिए देखिए नत्वी "ग")

14. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
15. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करेंगे।
16. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
17. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करेंगे।
18. मुख्यमंत्री, राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
19. मुख्यमंत्री, राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करेंगे।
20. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
21. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करेंगे।
22. कार्यस्वगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

23. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।”

24. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी एवं जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र में रहने वाली समस्त जातियों को जनजातियों हेतु अनुमन्य सुविधाएं प्रदत्त की जाए।”

25. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी मढ़वाल में प्रतिवर्ष होने वाली सहस्त्रताल, क्याखी बुग्याल, मासस्ताल यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं तथा बूझकेदार सहस्त्रताल तक सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।”

26. श्रीमती विजय बड़वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त राष्ट्रीय पार्क, पशु विहार, मृग विहार एवं संरक्षित वनों के आसपास के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजना बनाकर विकास किया जाए।”

27. श्री सुबोध उनियाल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (घ))

28. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 24 मार्च, 2006

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2006

का प्रथम शुक्रवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 03 चैत्र, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 24 मार्च, 2006)

नत्थी “क”

अल्पसूचित प्रश्न

श्री अजय भट्ट
06-03-2006

****** क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के किसानों का लाखों रुपया हड़पने वाली बेंनी दिवाकर उर्फ बेंनी की गिरफ्तारी हो चुकी है? यदि हाँ, तो वह प्रदेश के किस जेल में बन्द है? यदि नहीं, तो सरकार ने आज तक उसकी गिरफ्तारी के लिये एवं किसानों को धनराशि लौटाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

उद्यान

नत्थी “ख”

तारांकित प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त
22-12-2005

*1. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के परिवहन निगम का गठन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या अविभाजित उत्तरप्रदेश के समय कार्यरत कर्मियों तथा देनदारियों को भी विभाजित कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24-12-2005

*2. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 21 फरवरी से 23 फरवरी, 2003 तक निजी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु आयोजित कान्क्लेव में राज्य सरकार द्वारा लगभग 50.00 लाख रुपया खर्च किया गया? यदि हाँ, तो इस कान्क्लेव के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में कितने पूंजी निवेशकों द्वारा राज्य में पूंजी निवेश किया गया? यदि नहीं, तो उक्त कान्क्लेव आयोजित किये जाने का औचित्य क्या था? क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की आयोजित होने वाले सम्मेलनों पर प्रतिबन्ध लगावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

काजी निजामुद्दीन
28-12-2005

*3. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कितने कारगिल युद्ध शहीद आश्रित हैं? राज्य सरकार द्वारा कारगिल युद्ध शहीदों के सम्मान एवं उनके आश्रितों को लाभ पहुँचाने के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या और इस कार्य योजना से अब तक कितने परिवारों को लाभ हुआ है और कितने परिवार इस लाभ से वंचित है? यदि नहीं, तो क्यों?

सैनिक कल्याण

श्री मदन कौशिक
31-12-2005

*4. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में भ्रूण हत्या रोकने हेतु कोई प्रभावी योजना बनायी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री विशन सिंह चुफाल
04-01-2006
श्री हरबंस कपूर
27-02-2006

*5. क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिये जाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्रीमती विजय बड़वाल
07-01-2006

*6. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विनसर महादेव, दीवा, बूँखाल, एक्सेसर, देवलगढ़, क्यूँकालेश्वर, मुडनेश्वर, ताडकेश्वर, भैरवगढ़ी, महाबगढ़, डाडानगराजा जैसे पुरातत्व मन्दिरों को धार्मिक, पर्यटन सर्किट से जोड़ने की कोई योजना बनाई गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्रीमती आशा नौटियाल 10-01-2006 श्री हरबंस कपूर 27-02-2006	*7. क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी तरह जनपदों में रोजगार कार्यालय में अंकित बेरोजगारों की संख्या क्या है? राज्य निर्माण से अब तक रोजगार कार्यालय में अंकित बेरोजगारों की संख्या में कितनी कमी/बढ़ोत्तरी हुई है? क्या सरकार विवरण सदन के सम्मुख रखेगी?	श्रम
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 12-01-2006	*8. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पीड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्रगति का विवरण क्या है? उक्त विद्यालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?	चिकित्सा शिक्षा
श्री अजय भट्ट 27-01-2006	*9. क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ऋषिकेश में "एम्स" की स्थापना हेतु शिलान्यास कर दिया गया था? यदि हाँ, तो एम्स के भवन निर्माण की क्या प्रगति है?	स्वास्थ्य
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 27-01-2006	*10. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में इको पर्यटन की वर्तमान स्थिति (स्टेटस) क्या है? इसकी नोडल एजेंसी कौन है व कौन-कौन संस्थाएँ/विभाग इसके लिये कार्य कर रहे हैं? क्या इको पर्यटन के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनायी गयी है?	पर्यटन
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 10-02-2006	*11. क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि दून अस्पताल देहरादून में डाईलेसिस मशीन न होने के कारण मरीजों को अत्यन्त परेशानी हो रही है? क्या यह सत्य है कि उक्त मशीन के अभाव में कई रोगियों की अकाल मृत्यु हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार दून अस्पताल में डाईलेसिस मशीन लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त 22-12-2005	1. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय स्थापना किये जाने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान कर दी है? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2005-06 में इसकी स्थापना हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
--------------------------------	--	-----------

श्री प्रीतम सिंह पंवार 26-12-2005	2. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय देहरादून तथा ऋषिकेश में छोटे वाहनों के सड़क टैक्स व सवारी टैक्स में भिन्नता है? क्या यह सत्य है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय ऋषिकेश में सड़क टैक्स व सवारी टैक्स देहरादून कार्यालय की अपेक्षा अधिक लिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसमें एकरूपता लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 27-12-2005	3. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत कालाढूंगी में एन०टी०पी०सी० के सहयोग से बनने वाले पॉलीटेक्निक स्थापित कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त संस्थान कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा और कौन-कौन से विषय प्रारम्भ किये जायेंगे?	तकनीकी शिक्षा
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 27-12-2005	4. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत चकलुवा वि०ख० कोटाबाग में नये एस०ए०डी० चिकित्सालय भवन में विद्युत सुविधा न होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो कब तक चिकित्सालय में विद्युत सुविधा पूर्ण कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 28-12-2005	5. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित प्रसिद्ध तीर्थधाम यमुनोत्री के मायके खरसाली गांव को तीर्थारटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 28-12-2005	6. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जोगथ के चिकित्सक फरवरी, 2005 से जिला उधमसिंह नगर में सम्बद्ध है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनका जोगथ से स्थानान्तरण कर रा०आ०चि० जोगथ उत्तरकाशी में पूर्णकालिक चिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 28-12-2005	7. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में "पर्यटन ग्रामों" तथा "इंको टूरिज्म विलेज" चयन के कोई मानक अथवा नीति निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन

श्री प्रेमनन्द महाजन 04-01-2005	8. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंहनगर के 60 पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के गूलरमोज में स्थित बन्द आई0टी0आई0 में तकनीकी शिक्षा प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोमवार के अता0 83 में स्था0
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 06-01-2006	9. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल स्थित मांगवली नामक स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्रीमती विजय बड़वाल 06-01-2006	10. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अर्न्तगत एकेश्वर नामक स्थान पर एलोपैथिक चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो चिकित्सालय कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्रीमती विजय बड़वाल 06-01-2006	11. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित रा0 ग्रामीण पालिटेक्नीक थलनदी का नाम महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री जगमोहन सिंह नेगी के नाम पर रखा जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07-01-2006	12. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्वालीसौड के गमटी पट्टी के महरगांव, जसपुर, चमिचारी, गमटी, तिलपड़, वजियाड़ा, पिठयानी, पिपलखण्डा और उलण आदि ग्रामों में किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की तैनाती की गई है तथा उनका तैनाती स्थल कौन सा है और उन्हें कब तैनात किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री मदन कौशिक 09-01-2006	13. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वाहनों के सिंगल नम्बर लेने हेतु कोई नीति बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या? क्या यह सत्य है कि सिंगल नम्बर हेतु अधिक राशि ली जा रही है? यदि हाँ, तो इसको रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री मदन कौशिक 09-01-2006	14. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन नीति बनने के बाद देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2003-2004 की तुलना में वर्ष 2004-2005 में कितनी वृद्धि हुई है? क्या सरकार ने पर्यटकों से आय बढ़ाने हेतु कोई विशेष नीति बनायी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 09-01-2006	15. विधानसभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर में देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय डिपो द्वारा हापला-जौरासी हेतु बस दि0 17 मार्च, 2005 से संचालित की गई बस सेवा दिसम्बर, 2005 तक कितनी बार संचालित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 09-01-2006	16. क्या श्रम मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में आई0टी0आई0 खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्या आई0टी0आई0 हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री विशन सिंह चुफाल 10-01-2006	17. क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि मुम्बई में प्रतिवर्ष लगने वाले आई.टी.एम. (इण्डिया ट्रेड मार्क) प्रतिवर्ष लगने वाले पर्यटन मेले में उत्तरांचल के भाग न लेने के क्या कारण हैं? क्या वर्ष 2006 से उत्तरांचल उक्त मेले में भाग लेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 10-01-2006	18. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्रामसभा धूर्माकुण्डी के अन्तर्गत निर्माणाधीन मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र मोख पर व्यय की गई 2.53 लाख से अपूर्ण निर्मित भवन को पूर्ण करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्रीमती आशा नौटियाल 12-01-2006	19. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में 2002 से अब तक कुल कितने आयुर्वेदिक एवं राजकीय चिकित्सालय खोले गये हैं? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार टौसी, सारी, छिनका, कुरझण, तुलंगा, नागजगई, बावई, सौड़-भटगांव एवं चोपड़ा में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 12-01-2006	20. क्या पर्यटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के प्रसिद्ध नागनाथ मंदिर के सौन्दर्यकरण हेतु जिला पर्यटन अधिकारी से प्रस्ताव एवं आंगणन मंगाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंचार 12-01-2006	21. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में परिवहन विभाग द्वारा देहरादून से पर्वतीय जिला मुख्यालयों में सेमी डीलक्स बसों का संचालन शीघ्र किया जा रहा है? यदि हाँ, तो देहरादून से उत्तरकाशी मुख्यालय व देहरादून से बड़कोट तक सेमी डीलक्स बसों का संचालन कब से प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री प्रकाश पन्त 12-01-2006	22. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य का परिवहन निगम गतिमान होने के पश्चात 3090 के कितने विकल्पधारी कर्मचारी/अधिकारी वर्तमान में उत्तरांचल में कार्यरत हैं? क्या सरकार 3090 के सभी विकल्पधारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को 3090 भेजने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री विशन सिंह चुफाल 12-01-2006	23. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दूधदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कुल कितने उपकेन्द्र वर्ष 2006 तक संचालित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

श्री हरबंस कपूर 13-01-2006	24. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जनों हेतु जानलेवा बीमारियों के इलाज हेतु कोई योजना बनाई गयी है? यदि हाँ, तो उस योजना का प्रारूप क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत शासन/विभाग को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्राप्त प्रस्तावों में से कितने लोगों को लाभ मिला है?	स्वास्थ्य
श्री हरबंस कपूर 16-01-2006	25. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद में मसूरी को 205 खील बेस बसों की अनुमति नहीं मिलने के कारण मसूरी आने वाले पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?	परिवहन
श्री प्रकाश पन्त 18-01-2006	26. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में राज्य परिवहन निगम के बस स्टेशन हेतु भूमि चयन करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2006-07 में परिवहन निगम के बस अड्डे के निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के संबंध में विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री प्रकाश पन्त 18-01-2006	27. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005-06 में जनपद पिथौरागढ़ में साहसिक पर्यटन हेतु सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था? यदि हाँ, तो साहसिक पर्यटन की क्या गतिविधियाँ की गयीं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूँ मण्डल विकास निगम द्वारा भी साहसिक पर्यटन गतिविधियों हेतु धन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस संबंध में विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21-01-2006	28. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार एक समान सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 21-01-2006	29. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गेठिया में गेठियाताल नामक स्थल को विकसित एवं सौन्दर्यकरण किये जाने की कोई कार्ययोजना सरकार द्वारा तैयार की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री गोपाल सिंह राणा 24-01-2006	30. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत खटीमा नगर स्थित रोडवेज बस स्टेशन का भवन अति जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त के स्थान पर नये भवन निर्माण हेतु विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
25-01-2006

31. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूँ इंजीनियरिंग द्वाराहाट में कार्यरत कुल कितने दैनिक वेतन भोगी एवं नियम वेतन भोगी कर्मचारी हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
25-01-2006

32. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में रैथल और दयारा के मध्य प्राकृतिक ताला झील है? क्या सरकार दयारा पर्यटन विकास महायोजना के अन्तर्गत रैथल से ताला झील तक ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण व झील का सौन्दर्यीकरण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
28-01-2006

33. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया विकासखण्ड के महाकालेश्वर नामक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया जा चुका है? यदि हाँ, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब से प्रारम्भ कर लिया जायेगा?

स्वास्थ्य

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30-01-2006

34. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकासखण्ड के अन्तर्गत सिमलगांव (बटुलिया) में आयुर्वेदिक भवन निर्माण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्रीमती आशा नौटियाल
31-01-2006

35. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम च्यंग में तुंगेश्वर मन्दिर स्थित है? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय जनता उक्त मन्दिर के सौन्दर्यीकरण की मांग लम्बे समय से करती आ रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु धन उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्रीमती आशा नौटियाल
31-01-2006

36. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटक स्थल देवरियाताल में वर्ष 2002 से अब कुल कितने पर्यटक दर्शनार्थ आये? क्या सरकार वर्षवार ब्यूरा सदन के पटल पर रखेगी? सरकार द्वारा पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अभी तक उक्त क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
01-02-2006

37. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से राज्य की सड़कों के डेंजर जोन का चिन्हांकन तथा खतरानाक मोड़ों को सुदृढ़ किये जाने की कोई योजना प्रारम्भ की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रथम मंगलवार के
अता0 101 में स्था0

श्री प्रीतम सिंह पंवार 01-02-2006	38. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन/तीर्थाटन विकास की योजनाओं की स्वीकृति हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति के कोई मानक अथवा गाइडलाइन निर्धारित की गई है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों से प्राप्त महत्वपूर्ण योजनाओं के चयन/स्वीकृति के मानक क्या हैं? क्या यह सत्य है कि बिना किसी मानक अथवा नीति के योजनाओं का चयन कर कुछ जिलों की ओक्षा की गई है? क्या सरकार इस हेतु कोई कारगर नीति बनावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 01-02-2006	39. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चौखुटिया विकासखण्ड जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तिमिलखाल में ए०एन०एम० सेन्टर खोला गया था? यदि हाँ, तो उक्त सेन्टर में स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्रीमती आशा नौटियाल 01-02-2006	40. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम चौपडा सौड भटगांव में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष में अस्पताल खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02-02-2006	41. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य भर में अवस्थित प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्धपीठों जैसे चितई, सुरकण्डा देवी, कुंजापुरी, चन्द्रवदनी, ज्वाला, धारी देवी, रेणुका, नागणी देवी आदि मन्दिरों को धार्मिक अथवा पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये सरकार की कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 02-02-2006	42. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित "स्वास्थ्य मोबाइल टीम" योजना प्रत्येक विकासखण्ड में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त टीम की संख्या क्या है तथा उक्त टीम से प्रदेश के कौन-कौन से विकासखण्ड उपेक्षित है?	स्वास्थ्य
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 02-02-2006	43. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट अन्तर्गत "दुधोली" में स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक भवन का निर्माण पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 03-02-2006	44. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल में ओखलढूंगा क्षेत्र में रोडवेज की बस सुविधा न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो कब तक हल्दी हैड़ाखान तक बस प्रारम्भ कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन

डा० नारायण सिंह जन्तवाल 04-02-2006	45. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के प्रथम कुमाँऊ क्षेत्र नैनीताल से सेवा निवृत्त कार्यालय सहायक श्री को०एन० जोशी की पेंशन का विवाद पिछले 13 वर्ष से विभाग के पास लम्बित है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा पेंशन प्रकरण का निस्तारण कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 10-02-2006	46. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में राजकीय मेडिकल कालेज खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो मेडिकल कालेज कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा
श्री तसलीम अहमद 13-02-2006	47. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में पागल कुत्ते व जंगली जानवरों से घायल मरीजों के ऐंटी रैबीज इन्जेक्शन जनपद के सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐंटी रैबीज के इन्जेक्शन जनपद के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 14-02-2006	48. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हल्द्वानी स्थित वन ट्रस्ट मेडिकल कालेज में चालू शिक्षा सत्र 2005-06 में एम०बी०बी०एस० प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 14-02-2006	49. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित सातताल के पास "हिडिम्बा" नामक स्थान के ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिगत सरकार उक्त स्थल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री मदन कौशिक 26-12-2005	50. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चार धाम विकास हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? क्या सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में कितना प्रगति पूर्ण कार्य कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 26-12-2005	51. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हनुमानगढ़ी (नैनीताल) मन्दिर परिषद के सौन्दर्यीकरण व सुदृढीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढीकरण कब तक करा लिया जायेगा?	पर्यटन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 17-02-2006	52. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जिला पर्यटन सलाहकार समिति की बैठक दिसम्बर, 2005 से अब तक (17/02/2006) चार बार स्थगित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो बार-बार महत्वपूर्ण बैठक स्थगन किये जाने का औचित्य क्या है?	पर्यटन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 18-02-2006	53. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को पर्यटन व्यवसाय से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 18-02-2006	54. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आरक्षित कोटे के स्वच्छक, धोबी, कुक आदि के पदों का निजीकरण कर ठेकेदारी प्रथा चलायी जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार निजीकरण के निर्णय से आरक्षण कोटे पर पड़ने वाले प्रभाव के उपाय हेतु क्या प्रयास कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 22-02-2006	55. क्या श्रम मंत्री अवगत है कि 11 फरवरी, 2004 को बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कपकोट (बागेश्वर) एवं बिन्ता (जनपद अल्मोड़ा) में आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त घोषणा का अनुपालन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 22-02-2006	56. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकासखण्ड में "धुधलिया मनराल" नामक स्थान पर राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी (एस०ए०डी०) केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री अनिल नीटवाल 23-02-2006	57. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विभिन्न चिकित्सालयों में लेब टेक्नीशियनों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 25-02-2006	58. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में आई.टी.आई. खोले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर आई.टी.आई. खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री हरबंस कपूर 27-02-2006	59. क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार नेत्रहीनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई अलग से नीति बनायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	श्रम

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| डा० नारायण सिंह जन्तवाल
28-02-2006 | 60. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि हिडिम्बा आश्रम सातताल जनपद नैनीताल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन/पर्यटक दर्शन हेतु आते हैं? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त स्थान पर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? | पर्यटन |
| डा० नारायण सिंह जन्तवाल
28-02-2006 | 61. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल हनुमानगढ़ 'जनपद नैनीताल' के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त पर कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? | पर्यटन |
| श्रीमती विजय बड़थवाल
16-01-2006 | 62. क्या पर्यटन मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीर्थ स्थल लक्ष्मणझूला में गंगा किनारे घाटों के निर्माण न होने के कारण प्रत्येक वर्ष कई तीर्थयात्री गंगा में डूब जाते हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा लक्ष्मणझूला में गंगाघाटों के निर्माण की कोई योजना बनायी गई है? यदि हाँ, तो लक्ष्मणझूला स्थित बम्बई घाट व अन्य घाटों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? | पर्यटन |
| श्री अजय भट्ट
13-01-2006 | 63. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पत्रकारों के श्रम संबंधी मामलों (वेतन, काम के घण्टे आदि) के निपटारे हेतु किसी त्रिपक्षीय समिति का गठन कर समिति में पत्रकारों की ट्रेड यूनियनों को शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो उसमें कौन-कौन से श्रम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा भविष्य में श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को इस त्रिपक्षीय समिति में शामिल किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | श्रम |

बत्थी "ग"

डा० नारायण सिंह जन्तवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 के संबंध में शोधन यत्न।

उत्तरांचल विधान सभा सभा के तृतीय सत्र 2002 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 को
उत्तरित अतारंकित प्रश्न संख्या: 69

<u>मूल प्रश्न</u>	<u>दिया गया उत्तर</u>	<u>संशोधित उत्तर</u>
69. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "राज्य रक्षालय संस्थान" पटवाडांगर जनपद नैनीताल का औषधि निर्माण लाइसेन्स सन् 1995 से नवीनीकरण न कराये जाने के कारण रद्द कर दिया गया है?	जी हां।	जी नहीं।
यदि हां तो औषधि निर्माण लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है तथा कब तक लाइसेन्स का नवीनीकरण कर औषधि निर्माण लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।
यदि नहीं तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में नवीनीकरण कराये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अपितु अधिनियम के अन्तर्गत बनी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली-1945 के नियम-77 में प्राविधान है कि लाइसेन्स की निरन्तरता निर्माण कर्ता द्वारा आवेदनोपरान्त तब तक जारी रहेगा जब तक आवेदन पत्र पर निरस्तीकरण आदेश पारित न हो जाय।

उपर्युक्त संशोधित उत्तर में टंकण की त्रुटि के कारण "जी नहीं" के स्थान पर "जी हां" टंकित हो गया था। इस त्रुटि के संबंध में किसी का कदाशय निहित नहीं पाया गया है। अतएव इसके लिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है। उक्त त्रुटि के कारण माननीय सदस्य को हुई असुविधा के लिये खेद है।

(तिलक राज बेहड़)
मंत्री,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।



उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी “घ”

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी
नेता प्रतिपक्ष

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना,
2. ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश का उल्लेख न किया जाना,
3. रोजगार और स्वरोजगार की कोई ठेस नीति बनाया जाना,
4. अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाना,
5. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु आदि का नियमितिकरण किया जाना,
6. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करना,
7. अति दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना,
8. प्रदेश में वन एवं नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज कृषकों की भूमि का नियमितिकरण किया जाना,
9. कृषि के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना,
10. राष्ट्रीय पार्कों और पशु विहारों के निकट बसे गांवों को हक-हकूक दिलाना,
11. सूखाग्रस्त प्रदेश के किसानों को ठेस राहत दिलाने की कार्ययोजना बनाना,
12. नई तहसीलों, उप तहसीलों में स्टाफ, भवन, फर्नीचर की सुविधा दिलाना एवं उन्हें संचालित करना,
13. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा करना,
14. प्रदेश के भेड़ पालकों की ऊन के विपणन की व्यवस्था करना,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

39. पैरामेडिकल फार्मसिस्टों को नियुक्ति देना,
40. विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, संविदा में कार्यरत कर्मचारियों, तदर्थ एवं नियत वेतनमान कर्मचारियों का नियमितिकरण करना,
41. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं विकलांगों के आरक्षित पदों को भरना,
42. टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या का निराकरण करना,
43. पटवारी भर्ती घोटाळा, दरोगा भर्ती घोटाळा, मण्डी परिषद भर्ती, वार्ड ब्याय भर्ती में अनियमितताओं का श्वेत-पत्र जारी करना,
44. बेरोजगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना,
45. अफसरशाही पर नकेल लगाना,
46. घोटाळों पर श्वेत-पत्र जारी करना,
47. गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का बीपीओएल कार्ड बनाना,
48. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम-1980 को लचीला बनाना,
49. प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक केन्द्रों को विकसित करना,
50. आधी-अधूरी जल विद्युत परियोजनाओं एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रदेश एवं राष्ट्रीय हित में चालू करना,
51. वर्ष 1992 एवं 1999 के विनाशकारी भूकम्प से पीड़ित कृषकों को राहत बांटना,
52. मोटर मार्ग निर्माण में कृषकों की भूमि के कटान-दवान का मुआवजा लोक निर्माण विभाग से दिलाना,
53. कृषकों को उनके अनाजों/फलों, गन्ने का उचित मूल्य दिलाना,
54. ऋषिकेश में 'एम्स' तथा श्रीनगर में मेडिकल कालेज शीघ्र खोलना,
55. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोकना,
56. ठेस खनन नीति एवं ठेस आबकारी नीति से प्रदेश का राजस्व बढ़ाना,
57. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों की ऊज का उचित मूल्य दिलाना,
58. प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उबारना,
59. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाना,
60. दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में अस्पताल, सड़क एवं कालेज खोलना,
61. माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना,
62. लम्बे समय से जल संस्थान में कार्यरत पीओटीओ श्रमिकों का नियमितिकरण करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

13. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2005 में दैवी आपदा से नापड़ क्षेत्र में बहे पुलों का निर्माण किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा030मा0 विद्यालय कोटापन्दरपाला, रा030मा0 विद्यालय मडभटीगांव रा030मा0 विद्यालय जापका थल का उच्चीकरण किये जाने तथा
15. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय सौगांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय कघसाड पूर्व माध्यमिक विद्यालय धामी गांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमाली का उच्चीकरण किये जाने।

3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,
2. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने,
3. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में आई0टी0आई0 खोले जाने,
4. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने,
5. जनपद चमोली में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने,
6. जनपद चमोली के अन्तर्गत सिवाई झूला पुल को मोटर पुल में परिवर्तन करने,
7. जनपद चमोली के अन्तर्गत तपोवन विष्णुगड परियोजना में अधिग्रहित भूमि के भूस्वामियों को उचित मुआवजा देने,
8. जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर पोखरी एवं पोखरी कनकचौरी तथा पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग का हाटमिक्स से सुधार कार्य करने,
9. जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग वैरासकुण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
10. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में पर्यटन आवास निर्माण किये जाने,
11. जनपद चमोली के नामनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण करने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

29. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट के विजार गांव को जोड़ने के लिए झूला पुल निर्माण किये जाने,
30. जनपद चमोली के अन्तर्गत सुखताल एवं झलताल को पर्यटन केन्द्र विकसित करने तथा
31. जनपद चमोली के अन्तर्गत भेड प्रजनन केन्द्र बंगाली (घाट) की बहाल स्थिति को सुधारने।

4. श्री अनिल नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रोजगार नीति बनाये जाने,
2. जनपद चमोली के अन्तर्गत सीमान्त विकास प्राधिकरण का कार्यालय गैरसैण में शीघ्र खोले जाने,
3. जनपद चमोली के अन्तर्गत अपर निदेशक शिक्षा का कार्यालय गैरसैण में शीघ्र स्थापित किये जाने,
4. जनपद चमोली के अन्तर्गत राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना गैरसैण विकास खण्ड में किये जाने,
5. प्रदेश में 1999 में आये विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित सभी श्रेणियों के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान दिये जाने,
6. जनपद चमोली के अन्तर्गत तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित काश्तकारों को टिहरी विस्थापितों की तरह मुआवजा दिये जाने,
7. जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण एवं कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने,
8. जनपद चमोली के अन्तर्गत जू0हा0 कुणखेत, मैखोली, आन्डपा, पुनगांव विछौना विजयसैण, पिण्डवाली सुनाक-ग्वाड़, दुवा विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
9. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय भराईसैण, मरोड़ा कन्या विद्यालय नौटी चौससैण, बरतोली आदि विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
10. जनपद चमोली के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ सिमली को पुनः चालू किये जाने तथा
11. जनपद चमोली के अन्तर्गत रोहिड़ा, सिदोली, कुनीगाड़ क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पर्यटन स्थल कसारदेवी एवं जलना को विकसित करने,
19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा में घायखान धारखोला मोटर मार्ग बनाने तथा
20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने।

6. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के राशन कार्डों का पुनरीक्षण किये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत स्कार्ट फार्म काशीपुर में तराई के किसानों व मजदूरों का पुर्नवासन किये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में गांव बाजपुर के टूटे हुए मेन पुल के पुर्ननिर्माण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में पेप्सी प्लांट के पास गढ़री नदी के टूटे पुल का पुर्ननिर्माण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में बरैहनी व बेरिया दौलत तथा रैय हाईस्कूल को इण्टर तक उच्चीकरण किये जाने,
6. प्रदेश में प्रमुख रूप से बाजपुर में अधोषित विद्युत कटौती किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में इण्टर कालेज की प्रबन्ध कार्यकारिणी का पुर्नगठन करने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर को नया जिला बनाये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के राय सिखों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा
11. जनपद ऊधमसिंह नगर की बुक्सा जनजाति के कल्याण के लिए ठेस कार्यवाही किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

15. हिमाचल पर्यटन की भांति लबी के मेले के अनुरूप शाकरी एवं मोरी राजगढ़ी में पर्यटन मेले को मान्यता देने तथा
16. रोजगार हेतु सेव, आलू एवं जड़ी बूटियों से सम्बन्धित लघु उद्योग खोलने,

8. श्री चन्द्रशेखर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के किसानों की समस्याओं का निराकरण किये जाने,
2. बढ़ती हुई महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने,
3. आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित आपदाओं का निदान किये जाने तथा
4. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत घाड़ क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाये जाने।

9. श्रीमती विजय बड़वाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल की हयूँवल नदी पर बांध बनाकर सिंचाई किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, विकास खण्ड यमकेश्वर एवं विकास खण्ड दुगड़डा पर्वतीय क्षेत्र के समस्त गांवों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना बनाये जाने,
3. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान देवीखेत में महाविद्यालय खोल जाने,
4. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम अमोला विचला ढांगू में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
5. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम खरीफ पट्टी विचला ढांगू में झील सौन्दर्यीकरण एवं विकास किये जाने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर की विन्धवासिनी नदी का पानी विन्धवासिनी नामक स्थान पर रोककर झील का निर्माण करने,
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान किमसार क्षेत्र को साहसिक पर्यटन के लिए विकसित करने,

2. जनपद रुद्रप्रयाग में तल्लानागपुर में भारी पेयजल संकट के निराकरण की योजना बनाये जाने,
3. जनपद रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से देवरियाताल में पर्यटकों की सुविधा हेतु रज्जुमार्ग बनाये जाने,
4. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन गांव त्रियुगीनारायण तथा नारायणकोटि का विकास तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने,
5. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय खोले जाने,
6. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल ककोडाखाल में स्व० अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के साथ-साथ अन्य आन्दोलनकारियों का स्मृति पटल तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने,
7. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को बी०पी०एल० कार्ड बनाये जाने,
8. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गौरीकुण्ड से रामवाडा केदारनाथ तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
9. जनपद रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन मोटरमार्गों का मुआवजा वितरण किये जाने,
10. जनपद रुद्रप्रयाग में स्थान चोपता शीतगृह (कोल्ड स्टोर) का निर्माण किये जाने,
11. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई में ऐलोपैथिक अस्पताल की स्थापना किये जाने,
12. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राऊलैक में राजकीय इंटर कालेज की स्थापना किये जाने,
13. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाईस्कूल गुप्तकाशी का उच्चीकरण किये जाने,
14. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्थान चोपता के चांदधार में खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
15. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से घुत्तु भट्वाडी पर्यटकों के सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
16. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत शहीद उदय सिंह के नाम पर नगरासू डिडोली झूला पुल का निर्माण किये जाने तथा
17. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में महिला पालिटैक्निक की स्थापना किये जाने।

5. राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किये जाने,
6. राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने,
7. राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से लीज पर भूमि ली गई है लीज वन भूमि का पट्टा स्थायी किये जाने,
8. कुमाऊ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट का नाम स्व० विपिन चन्द्र त्रिपाठी के नाम करने,
9. टिहरी बांध परियोजना प्रभावितों के समुचित पुनर्वास किये जाने,
10. टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के 16 गांवों के ग्रामीणों का पुनर्वास तथा अवेश्य भूमि, मकान गौशालाये, घराट, सिंचाई गूलें, हौज, छनचौक का प्रतिकर भुगतान करने,
11. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्वालीसौंड की पट्टी गमरी, दिचली और बिष्ट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
12. बड़कोट, पुरोला मोरी विकास खण्ड (रवांई घाटी) के नाम से पृथक जनपद बनाने,
13. राजकीय महाविद्यालय बड़कोट व चिन्वालीसौंड के भवन निर्माण हेतु शीघ्र भूमि चयन करने,
14. राज्य के पर्वतीय जनपदों को पूर्ण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने,
15. वरुणावत भूस्खलन प्रभावितों को समुचित सहायता प्रदान करने,
16. राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय बनचौरा का उच्चीकरण करने,
17. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत मताड़ी, स्थानाचट्टी गढ़ (नौगांव) कोटधार (दशनी) टिपरी (बिष्ट) बघाणगांव, रौन्तल (गमरी) मालना ओर मजगांव (भण्डारस्यू) में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
18. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल स्थानाचट्टी, गढ़ ओडगांव (नौगांव) जूनियर हाईस्कूल बघाणगांव, छोटी मणी, दिचली, कांसी, ज्योष्टवाड़ी का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

34. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बवास से हस्कीदून तथा हनुमानचट्टी से डोडीताल तक पर्यटक ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण किये जाने,
35. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राना (गीठ) घिनाड़ा, कुपड़ा, लोदरीताल, नागटिब्बा, कण्डक, जगदेई रुपनौल सौड़, डांडा, दनाऊ, नागणी खंग, नचिकेताताल, डोडीताल आदि पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण करने तथा ट्रेकिंग पहुंच मार्गों का निर्माण किये जाने,
36. दयारा बुव्याल शीतकालीन कीड़ा केन्द्र महायोजना का निर्माण करने,
37. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रैथल-दयारा-डोडीताल ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण करने,
38. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत चामी सिंगुणी-मोलागांव नौगांव गोडर सुल्याखोल मोटर मार्ग निर्माण करने,
39. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वणगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग, गमरागढ़ देवल मोलयात से जान्दपू मोलागांव नौगांव गोडर मोटर मार्ग, निर्माण, सारीगाड-गातू-ओडगांव-जुगडगांव मोलागांव नौगांव गोडर मार्ग निर्माण स्यालना-पटारा नालूपानी मोटर मार्ग, थरासू चमियारी, गमरी उलण मोटर मार्ग निर्माण, चिन्यालीसौड़ कोटवानी मोटर मार्ग निर्माण, स्यानाचट्टी कुडार मोटर मार्ग निर्माण, स्यानाचट्टी-कुपड़ा मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
40. मसूरी-भवान-नगुण मोटर मार्ग के अवशेष मात्र का शीघ्र निर्माण किये जाने,
41. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव व चिन्यालीसौड़ में बालिका हाईस्कूल खोले जाने,
42. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डामटा और नौगांव में शीतगृह स्थापित किये जाने,
43. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जगदेई टांप, देवराणा टांप में दूरदर्शन टावर स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
44. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनचौरा, कलोगी, जगदेई (श्रीकोट) में मोबाईल टावर स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
45. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनचौरा में दूरभाष एक्सचेंज स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,

62. विजोरी तोक दिवारीखोल (चिन्वालीसौड) उत्तरकाशी में श्री राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण प्रारम्भ किये जाने,
63. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कलोगी, स्यानाचट्टी (नौगांव) ज्येष्ठवाड़ी, पोखरीसौड (जोगयम) में पशु चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने,
64. धरासू दिकोली-सर्जसापट रौन्तल मोटर मार्ग, धरासू-सुरी तराकोट मोटर मार्ग, सुल्थाखोल-नौगांव गोडर मोटर मार्ग (स्वीकृत) का शीघ्र निर्माण कराने,
65. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों (क्षतिग्रस्त) का पुर्ननिर्माण करने,
66. विकास खण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के ग्राम अखली मध्ये तिमली तोक में दिनांक 27-8-2005 को बादल फटने के कारण हुए भूस्खलन से हुई क्षति के कारण काश्तकारों को समुचित सहायता प्रदान करने व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करवाये जाने,
67. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट फलारवा गंगाणी मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने,
68. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बन्दरकोट-बौन से भन्साड़ी स्यालना-खरादी (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,
69. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ला-सौरा-बेलख-धुतु त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
70. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में एल0एल0बी0 व बी0एल0 की कक्षाये इसी सत्र से संचालित करने,
71. प्रत्येक जनपद में ओल्ड-एज-होम स्थापित करने,
72. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत चिन्वालीसौड जोगव-लम्बगांव अवशेष भाग 03 कि0मी0 का शीघ्र निर्माण कराये जाने,
73. टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र बल्होगी में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का शीघ्र निर्माण करने,
74. वनाग्नि को दैवीय आपदा घोषित करने,
75. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों व मृतकों के लिए नुआदजा व आर्थिक सहायता प्रदत्त किये जाने हेतु राज्य में एक समान नीति लागू किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

3. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु कोई योजना बनाने,
4. उत्तरांचल के लोक निर्माण विभाग एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने,
5. पूर्व से कार्यरत कुशल दाईयों को मानदेय दिये जाने,
6. प्राथमिक विद्यालयों में दिन के भोजन वितरण में हो रही कठिनाइयों का निराकरण किये जाने,
7. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के घटिया भवनों का पुर्ननिर्माण किये जाने,
8. राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50-50 हैण्ड पम्प दिये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत के खनिया एवं जेठ गांव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु छोटी पम्पिंग योजना बनाये जाने,
10. अल्मोड़ा जिले में चित्तियानौला क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या का समाधान किये जाने,
11. अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत में स्वीकृत रुमा-बजीना पेयजल योजना का आज तक कार्य प्रारम्भ न होने,
12. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से चौबटिया तक रोप वे बनाये जाने,
13. अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए छात्रों के लिए एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं छात्रों के लिए एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने,
14. जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत-पन्तकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने,
15. जनपद अल्मोड़ा के कालिका-दलमोटी सड़क पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने,
16. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौबटिया (रानीखेत) स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्व शाखा से चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जिले एवं मण्डल से बाहर किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने,
17. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के खिरखेत में 06 बिस्तों का एक चिकित्सालय खोलने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

34. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट, द्वारसो-शीतलाखेत, सौनी-देवलीखेत इयोडाखाल, चौबटिया-कुन्नेलाखेत-बमस्थू, ताड़ीखेत-पीपली मज्यूरखान, गनियाधोली-सिमोली-अम्याड़ी एवं गनियाधोली-दना-बिशालकोट सड़को के डामरीकरण किये जाने,
35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट सड़क का कार्य प्रारम्भ करने,
36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत चलना-गगास स्वीकृत सड़कों का एवं दड़माड़ पुल का कार्य प्रारम्भ करने,
37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत काकड़ी घाट-शीतलाखेत के शेष अपूर्ण भाग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खिरखेत-कारधूली स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यूड़ा-गनेल से सिलोर महादेव तक स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पीपली-मज्यूरखान स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गनियाधोली-दना-बिशालकोट की स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ करने,
42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इयाडाखाल से पस्तोड़ा-बधिया-चमड़खान सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने,
43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खैरना से ज्याड़ी-बोहरगांव पोखरी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुजान-चापड़-बिल्लेख स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उप्राड़ी-शिलंगी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिरोली बैण्ड से बेड़गांव तक स्वीकृत एक किमी० सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने,
47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना-मटेला मनहार स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पयुली-मण्डलकोट स्वीकृत सड़को का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मजखाली-दिगोटी-दुगौड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति दिये जाने,

6. जनपद पिथौरागढ़ में ठरकोट तथा सल्ला-चिंगरी इन्टरमीडिएट कालेज की स्थापना किये जाने,
7. जनपद पिथौरागढ़ में कुम्याचौड़, खतीगांव, सिमल्कोट, मडखड़ायत, नैनी-सैनी बजेटी उपरतोला विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर की मान्यता दिये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ में जमराडी, चमाली, उपरतोला, सौनगांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने,
9. जनपद पिथौरागढ़ स्थित मोस्टमानू, चड्डिका मन्दिर, थलकेदार, शिवालय मरसोली, कासनी, मड स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों का विकास किये जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ में साहसिक पर्यटन तथा जल कीड़ा की सम्भावनाओं को देखते हुये स्थल चयन करने,
11. जनपद पिथौरागढ़ में नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत समस्त मोटर मार्गों को हाटमिक्स द्वारा निर्मित करने,
12. जनपद पिथौरागढ़ में सैनी-कनारी-पाभे, दिग्तोली-दियूडी, चन्डाक-धारी-डूंगरा, सुकोली-चमाली मोटर मार्गों का निर्माण करने,
13. जनपद पिथौरागढ़ में जाख-मेलडुंगरी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने,
15. जनपद पिथौरागढ़ में इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ में मैनेजमेन्ट संस्थान खोले जाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ में खेल विद्यालय की स्थापना,
18. जनपद पिथौरागढ़ में विद्युत शबदाह गृह की स्थापना,
19. राज्य के बेरोजगारों हेतु प्रभावी नीति बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने,
20. राज्य के समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने तथा
21. राज्य के सरकारी कार्यालयों में की जा रही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवकों की वरीयता कम से किये जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री गोविन्द लाल शाह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु स्पष्ट है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. जनपद चमोली के अन्तर्गत सम्पूर्ण पिण्डर विधान सभा क्षेत्र को यातायात सुविधा दिये जाने,
2. जनपद चमोली के सुदूरवर्ती विद्यालयों को उच्चकृत कर भवन सुविधा उपलब्ध किये जाने तथा
3. जनपद चमोली के सुदूरवर्ती ग्रामों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध किये जाने।

16. श्री पुष्पेश त्रिपाठी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य का नाम पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उत्तराखण्ड किये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी अविलम्ब गैरसैण बनाये जाने,
3. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों/शहीदों को सम्मान दिये जाने,
4. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 2000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
5. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को परिवहन शुल्क माफ किये जाने,
6. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र खोले जाने वाले मानकों में कमी किये जाने,
7. सर्वशिक्षा कार्यक्रम को अध्यापकों से हटाकर शिक्षित बेरोजगारों से कराये जाने,
8. प्रा0 विद्यालयों में पंद्रह बच्चों पर एक शिक्षक किये जाने,
9. तराई की कृषि योग्य भूमि पर उद्योगों की स्थापना के बजाय कृषि एवं किसानों को बढ़ावा दिये जाने,
10. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटिया को कृषि अथवा हार्टिकल्चर मिशन में चयनित किये जाने,
11. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पिण्डर नदी को टनल बनाकर कोसी, गंगा एवं रामगंगा में लाकर पेयजल की समस्या का हल किये जाने,
12. उत्तराखण्ड के भूमिहीनों का चयन कर कम से कम परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार/नौकरी दिये जाने,

13. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जालली ब्लाक की स्थापना संहित प्रदेश में नये ब्लाकों की स्थापना किये जाने,
14. महिला मंगल दलों को ग्राम पंचायतों की तरह वित्तीय अधिकार देकर महिलाओं की भूमिका को राज्य के विकास में सुदृढ़ किये जाने,
15. लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछकर गांव-गांव में महिलाओं को रोजगार दिये जाने,
16. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के कारण बढ़ रही सूखे की स्थिति से निपटने हेतु बांज, उत्तीस, बुरांश चौड़ी पत्ती वाले पौधों को लगाये जाने,
17. राज्य की प्रत्येक तहसील से राजधानी हेतु एक हाईटेक बस चलाये जाने,
18. राज्य के जिला पंचायत सदस्यों क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों को मानदेय दिये जाने,
19. जिला पंचायत अध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने,
20. राज्य में फिल्म उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने,
21. प्रदेश में शराब के स्थान पर फ्रूट बियर उद्योग खोले जाने,
22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दुनागिरी, मंशादेवी, पाण्डवखोली, भटकोट, विमानेश्वर महादेव अम्बेरी मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित कर विकास हेतु राज्य योजना में सम्मिलित किये जाने,
23. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0क0इ0 कालेज द्वाराहाट, रा0इ0 कालेज धामदेवल, रा0इ0 कालेज बग्वालीपोखर, रा0इ0 कालेज जौरासी का भवन निर्माण किये जाने,
24. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुमाऊं इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट एवं पण्डुआखाल सिमलखेत में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने,
25. राज्य में लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवक मंगल दलों को ग्राम सभा स्तर पर प्रशिक्षण देकर जागरूकता लाये जाने,
26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट एवं चौखुटिया के बीच में परिवहन निगम का कार्यालय खोले जाने,
27. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चिपको आन्दोलन की प्रमुख स्वली चांचरीधार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने,

28. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पाली पछरु नाम से जिला बनाये जाने,
29. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया में कृषि विज्ञान केन्द्र, पालिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 खोले जाने,
30. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुमायू इंजीनियरिंग कालेज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं नियत वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितकरण किये जाने,
31. स्वास्थ्य मोबाइल टीम सेवा योजना द्वारा हाट एवं चौखुटिया सहित सभी पर्वतीय विकास खण्डों में चलाये जाने,
32. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पितौला, बिन्ता एवं चौखुटिया विकास खण्ड के ग्राम पंचायत भगोती में स्टेट बैंक अथवा ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने,
33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया का भवन बनाये जाने,
34. राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट में वाणिज्य एवं बायोटेक्नोलॉजी विषय खोले जाने,
35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बादल फटने के बाद आपदाग्रस्त तड़ागताल क्षेत्र को संरक्षित एवं उपचार किये जाने,
36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुकुछीना-पैली मोटर मार्ग स्वीकृत किये जाने तथा चन्थरिया-दूगाधारा-सीरा-कनोली चौखुटिया मोटर मार्ग स्वीकृत किये जाने,
37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम बगेला, नाइ, धरगांव, नायल, आगर नटगुल्ली, पान, गैराइ, अखेती में बारातघर, कीड़ा मैदान एवं महिलाओं को रोजगार दिये जाने,
38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोदी तड़ागताल, गोदीखीड़ा का डामरीकरण किये जाने,
39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट के तहत बिन्ता मटेला सुरना, कफड़ा छबीसा, चन्थरिया बयेला मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दुनागिरी में एस0ए0डी0 स्थापित किये जाने,
41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0इ0 कालेज दुनागिरी में विज्ञान विषय खोले जाने,
42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिमलगांव, बदुलिया में आयुर्वेदिक भवन निर्माण किये जाने,

43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत धुधालिया मनराल (चौखुटिया) ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने,
44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट एवं चौखुटिया को उच्चीकृत एवं ई0एन0टी0 यूनिट की स्थापना किये जाने,
45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विमान्देश्वर महादेव (द्वाराहाट) में पर्यटन विभाग द्वारा झील बनाये जाने,
46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विमान्देश्वर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किये जाने,
47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खीरोधारी, झूलाहाट, टोदरा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,
48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मगस नदी पर जल संवर्धन हेतु छोटे-छोटे डैम एवं वृक्षारोपण किये जाने,
49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0 महाविद्यालय चौखुटिया में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ किये जाने,
50. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0क0 हाईस्कूल उभ्याड़ी एवं बगवालीपोखर का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने,
51. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामपुर चौखुटिया में रा0क0इण्टरमिडिएट कालेज खोले जाने,
52. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामपुर चमणिया (चौखुटिया में) एस0ए0डी0 की स्थापना किये जाने,
53. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुमाऊ इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान का दर्जा दिये जाने,
54. राजकीय पालीटेक्निकों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप समायोजित किये जाने,
55. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भिक्षासैन विधान सभा क्षेत्र की नैथना पम्पिंग योजना से सिलंग, मासों, धुधुनी, खनारी, सनणें, धमेड़ा ग्रामों हेतु अलग पेयजल उपलब्ध करवाने,
56. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट चौखुटिया सहित प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 हैडपम्प लगाये जाने,
57. राज्य की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी इनसे उच्चाधिकारी की भांति पद रिक्त होने पर पदोन्नति की समय सीमा निर्धारण किये जाने तथा
58. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोदी खीड़ा, कफड़ा, छबीसा, कफड़ा बड़ेत द्वाराहाट भगतोला मोटर मार्गों में जमीन का मुआवजा ग्रामवासियों को दिये जाने।

17. श्री हरबंस कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए सम्पूर्ण राज्य को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने,
2. प्रदेश में चौबीस घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने,
3. प्रदेश में वी०टी०सी० की निर्धारित प्रवेश परीक्षा 25-2-06 को अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के कारण स्थगित किये जाने के प्रकरण से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने, प्रवेश परीक्षा की आगामी तिथि तुरन्त घोषित किये जाने एवं पूर्व निर्धारित अभ्यर्थियों के नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने,
4. प्रदेश में रिक्त 30प्र० आवास विकास की रिक्त भूमि अधिग्रहण किये जाने तथा रिक्त भूमि पर विभिन्न श्रेणियों के आवास निर्मित किये जाने,
5. देहरादून के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए पौधे लगाए जाने,
6. प्रदेश में आकामक हाथियों के कहर करने वाले क्षेत्रों में नागरिकों को आवश्यक सुरक्षा तथा नागरिकों के जानमाल की क्षति प्रतिपूर्ति किये जाने,
7. प्रदेश में स्थिति औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा उपलब्ध किये जाने हेतु सड़कों का निर्माण किये जाने तथा मार्गों के दोनों ओर पथ प्रकाश व्यवस्था किये जाने,
8. प्रदेश में मुख्य मार्गों पर चलने वाले ट्राली ट्रैक्टरों की ट्रालियों, बैलगाड़ियों तथा अन्य वाहनों के पीछे उपयुक्त रात को चमकने वाले संकेतात्मक चिन्हों को लगाने,
9. प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ती हुई माओवादी गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने,
10. प्रदेश की सेवाओं में रिक्त अनु० जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने,
11. राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में उत्तरांचल की संस्कृति के संवर्द्धन, लोकगीत एवं लोक कला के उत्थान हेतु हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना के किनारे पूर्व में चिन्हित स्थान पर शिलान्यास किये गये स्थान पर बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का शीघ्र निर्माण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

12. राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलकूद स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चुक्खु मौहल्ला, लूनिया मौहल्ला, हकीकत राय नगर, डांडीपुर, खुड़बुड़ा मौहल्ला एवं लौहारवाला, किशन गनर, सजांची बाग, दीपलोक कालोनी, सैयद मौहल्ला, मित्रलोक कालोनी, शान्ति विहार, गोविन्दगढ़, आदि क्षेत्रों से बहने वाले गन्दे नाले की तुरन्त सफाई कराये जाने, नियमित सफाई की व्यवस्था किये जाने, नालों के सीवर को सीवर की मुख्य लाइनों से जोड़े जाने तथा नालों के जीर्णोद्धार एवं स्वरस्ताव की विस्तृत योजना बनाये जाने,
14. प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की विस्तृत रोजगार योजना बनाये जाने तथा
15. प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों पर अधिकृत रूप से लगाये जाने वाले हैड लाइट के अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से लगाये जाने वाले रंग बिरंगी हैड लाइट को हटाये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने।

18. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. बंगाली विस्थापितों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने,
2. थारु जनजाति, बंगाली समाज, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का समुचित विकास किये जाने,
3. सितारगंज को परगना बनाने एवं डिग्री कालेज का निर्माण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लाक के अन्तर्गत वर्ग एक ख एवं वर्ग चार की जमीन का नियमितिकरण करने तथा डाम के किनारे बसे लोगों को पट्टे की जमीन आवंटन किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज के अन्तर्गत नानकमत्ता को धार्मिक/पर्यटन केन्द्र हेतु आर्थिक पैकेज दिए जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज के अन्तर्गत बाढ़ की रोकथाम किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज औद्योगिक जोन में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चित किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल सितारगंज को घाटे से उबारने तथा
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सम्पूर्णनन्द शिविर कारागार सितारगंज को अत्याधुनिक बनाने।

19. श्री प्रेमनन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल में रहने वाले बंगलाभाषी उपजातियों शुद्र, पौण्ड्रा मांझी जाति के लोगों को अनु जाति की मान्यता दिये जाने,
2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
3. प्रदेश में पूर्व में निर्मित मार्गों की मरम्मत हेतु विशेष धन आवंटन किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में कन्या हाईस्कूल के उच्चीकरण किये जाने तथा
5. प्रदेश में सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने।

20. डा० नारायण सिंह जन्तवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी बनाये जाने,
2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों की पूर्ण वापसी करने,
3. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधा देने,
4. सम्यक रोजगार नीति बनाकर 5 वर्ष के अन्दर बेरोजगारी दूर करने,
5. केन्द्रीय कर्तों से राज्य को विशेष अनुदान दिलाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. राजकीय हाईस्कूल नौकुचिया, दोगड़ा, जनपद नैनीताल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
7. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रा0इ0का0 ज्योलीकोट के पुराने भवनों का पुर्ननिर्माण कराये जाने,
8. मेडिकल कालेज हल्द्वानी (नैनीताल) में उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में छूट दिये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट इन्जीनियरिंग कालेज का नाम स्व० विपिन त्रिपाठी के नाम रखे जाने,
10. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के नैनीताल नगर के आन्दोलनकारी जिन्हें फतेपुर व मिर्जापुर जेलों में रखा गया को सेवायोजित किये जाने,
11. जनपद नैनीताल के भवाली में रोडवेज वर्कशाप को दूसरे स्थान में स्थानान्तरित करने,
12. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो वी०पी०एल० कार्ड से वंचित हैं उनके वी०पी०एल० कार्ड बनाये जाने,
13. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लचीला बनाये जाने,
14. प्रदेश में नजूल भूमि व वन भूमि जो वर्षों से कृषकों के कब्जे काश्त है उसका नियमितिकरण किये जाने,
15. जमीन-बलियाखान जीप मार्ग जो कि कास्तकारों के लिए उपयोगी है को बनाये जाने,
16. माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध कराये जाने,
17. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में कृषि क्षेत्र भुजियाघाट व रुना मोरा में सिंचाई नहरों को पक्का कराये जाने,
18. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट में आई०टी०आई० खोले जाने,
19. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सिडकुल के अन्तर्गत ज्योलीकोट नैनीताल में उद्योग लगाये जाने,
20. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड ओखलढूंगा में व्यवसायिक बैंक की शाखा खोले जाने,
21. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रौसिल-भक्त्याजाला में गौला नदी से कटाव वाली भूमि व कास्तकारों के मकानों की सुरक्षा किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

22. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सड़ियाताल-ज्योलीकोट गांव में हो रहे भू कटाव से सुरक्षा किये जाने,
23. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम मनोरा से नैनीताल पैदल मार्ग पर कटाव वाले क्षेत्रों की सुरक्षा किये जाने,
24. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली-फर्सोली पैदल मार्ग को पक्का किये जाने,
25. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योव्यूड़ा-खुर्पाताल में नाले से हो रहे भू कटाव को रोके जाने,
26. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम सभा सूर्या गांव से सांतताल मोटर रोड निर्माण कराने,
27. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली गहलना जीप रोड निर्माण कराये जाने,
28. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गेटियाताल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
29. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पाईन्स-गेटिया सिंचाई योजना को आरम्भ कराये जाने,
30. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट बुकिंग कार्यालय जो कि परिवहन निगम के अन्तर्गत है की मरम्मत कर यात्रियों के विश्राम के लिए खोले जाने,
31. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अरुखान-बेलुवाखान में ट्रेक्टर मार्ग का निर्माण कराये जाने,
32. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत फुनिया खान-चोपड़ा में बन्द पड़ी पेयजल पम्पिंग योजना को पुनः आरम्भ कराये जाने,
33. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोखली-द्वकाखेत के लिए बलियानाले में पुल निर्माण कराये जाने,
34. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पटुवाडागर-बसगांव-रोपड़ा कच्चे वन मार्ग को पक्का कराये जाने,
35. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के देवीधूरा में काश्तकारों की सुविधा हेतु पुलिया निर्माण कराये जाने,
36. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र कालाढूंगी में भूमि कटाव रोके जाने,
37. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पर्यटन की दृष्टि से बुड़भुमिया मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
38. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत काश्तकारों की सुविधा हेतु ज्योलीकोट व उसके आस-पास मिनी मण्डी स्थापित करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

39. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बेलुवाखान वर्षाती नाले से ग्राम वासियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु नियंत्रण कार्य कराये जाने,
40. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रानीबाग स्थित प्रसिद्ध चित्रशिला घाट एवं तीर्थ स्थल का विकास करने,
41. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट में उप तहसील खुलवाये जाने,
42. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रा0इ0का0 ज्योलीकोट से नलैना मोटर मार्ग को पक्का कराने,
43. उत्तरांचल राज्य के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों व हाईस्कूलों में निशुल्क पुस्तकों व कम्प्यूटरों का वितरण करने,
44. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जमरानी बांध का निर्माण कराये जाने,
45. नैनीताल नगर की सुरक्षा हेतु बनाये गये नालों (ड्रिनेज) की लगातार सफाई करवाने,
46. राज्य में आवास एवं विकास परिषद का गठन किये जाने,
47. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बजौनिया हल्द्व-कोटबाग में बैंक शाखा खोले जाने,
48. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में सौलिया-बेलुवाखान में आंगनवाड़ी स्कूल खोले जाने,
49. सरकारी सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ किये जाने,
50. उत्तरांचल पेयजल निगम के कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने,
51. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल न्याय पंचायत ओखलढुंगा के गांवों को बडौनिया या हरीशताल जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
52. चीनी उद्योग में कार्यरत गब्बा समिति कर्मचारियों सीजनल एवं स्थायी मिल कर्मचारियों की भांति मिल बन्द होने के पश्चात् आधा वेतन दिये जाने,
53. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पुराना आलूखेत-गेठिया में प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कार्य करवाये जाने,
54. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में आई0टी0आई0 इसी सत्र से आरम्भ करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

55. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से बनने वाले पालिटेक्निक को इसी सत्र से आरम्भ किये जाने,
56. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी तहसील भवन शीघ्र बनाने एवं तहसील के सभी कार्य आरम्भ किये जाने,
57. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
58. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन किये जाने,
59. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में उप मण्डी स्थापित किये जाने,
60. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी खान में सन् 1947 से पूर्व से निवास कर रहे 175 भूमि कब्जेदारों को स्वामित्व अधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किये जाने,
61. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी-नैनीताल सड़क का शीघ्र सुधार किये जाने,
62. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने,
63. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में आई0टी0आई0 स्थापित किये जाने,
64. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली-भीमताल में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को बी-2 आवासीय भत्ता दिये जाने,
65. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल, भवाली, भीमताल बाई पास को शीघ्र बनाये जाने,
66. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आदर्श विद्यालय भीमताल में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने,
67. प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों को नियमित किये जाने,
68. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सी0आर0एस0टी0 इण्टर कालेज नैनीताल के जीर्ण क्षीर्ण भवन का पुनः निर्माण किये जाने,
69. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पन्त चिकित्सालय का पुर्ननिर्माण एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक नियुक्त किये जाने,
70. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली-नैनीताल में उप मण्डी स्थापित किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

71. नैनीताल शहर को बलियानाले से निरंतर बढ़ते खतरे की सुरक्षा किये जाने,
72. प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिका परिषद नैनीताल को विशेष वित्तीय अनुदान दिये जाने,
73. प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम व्यावहारिक रूप से लागू करने,
74. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बिजिलैन्स कार्यालय नैनीताल में ही बनाये रखने,
75. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जी०वी० पन्त इण्टर कालेज में भवाली में जीव विज्ञान की अतिरिक्त मान्यता दिलाये जाने,
76. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सूर्यागांव-भीमताल पेयजल पम्पिंग योजना बनाये जाने,
77. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत त्रैशाल (भीमताल) पेयजल योजना बनाये जाने,
78. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आम पड़ाव चोपड़ा में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों, मृतकों के आश्रितों को अन्यत्र बसाये जाने,
79. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पसौली सिमलखेत एवं दानीजाला हेतु गौला नदी में झूला पुल बनाये जाने,
80. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
81. नैनीताल शहर के "शेर का डांडा" के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने,
82. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनाये जाने,
83. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत चकलुवा-कोटबाग में चिकित्सालय भवन में विद्युतीकरण कराये जाने,
84. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हनुमानगढ़ी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण व सुदृढीकरण किये जाने,
85. नैनीताल नगर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) बनाये जाने,
86. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थापला-जमालगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

87. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट ग्राम समूह में पेयजल योजनाओं के सुधारीकरण एवं विस्तार कराये जाने,
88. प्रदेश में बड़ी ग्राम सभाओं का विभाजन कर आकार छोटा किये जाने,
89. प्रदेश में मोटर मार्गों के निर्माण में कृषकों की भूमि के कटान-दवान का मुआवजा लोक निर्माण से दिलाये जाने,
90. प्रदेश में स्वरोजगार के लिए ऋण आदि में सरलता लाये जाने तथा
91. प्रदेश में जन संवय योजनाओं को बढ़ावा देना।

21. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु स्रेष्ठ है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने,
2. दलितों को संविदा के आधार पर भरे जा रहे पदों में नियुक्तियों में आरक्षण दिये जाने,
3. अफसरशाही पर अंकुश लगाने,
4. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बजट को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने,
5. प्रदेश के छोटे किसानों के पट्टे को नियमित करने,
6. जनपद हरिद्वार एवं जनपद ऊधमसिंह नगर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,
7. प्रदेश के भेड़ पालकों की ऊन को बेचने की व्यवस्था करने,
8. नवयुवक बेरोजगारों को रोजगार दिलाने,
9. बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराये जाने,
10. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु छोटे-छोटे टेंडर आमंत्रित करने,
11. स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किये जाने,
12. राज्य की सरकारी सेवा में भर्तियों में पारदर्शिता लाये जाने,
13. राज्य के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को शीघ्र कराये जाने,
14. स्थानान्तरण नीति में पारदर्शिता हेतु ठेस नीति बनाये जाने,

15. दैवीय आपदा के बजट को समय से सदुपयोग किये जाने,
16. शराब की दुकानों में पारदर्शिता लाने एवं प्रदेश से शराब माफियों को बाहर करने,
17. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने,
18. कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुविधा प्रदान किये जाने,
19. महंगाई को नियंत्रण में लाने,
20. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने हेतु खेस कानून बनाये जाने,
21. प्रदेश में एस0सी0एस0टी0 एवं पिछड़ी जाति की विधवा महिलाओं को पेंशन दिये जाने,
22. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के वी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने,
23. प्रदेश के कृषकों को उनके अनाज, फलों, गन्ना आदि फसलों के उचित दाम दिये जाने,
24. प्रदेश के दूध व्यवसायी किसानों को दुध का उचित दाम दिये जाने,
25. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
26. अपराधों में कमी लाये जाने,
27. प्रत्येक जिले में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अलग से एक अधिकारी पुलिस विभाग में और जिला प्रशासन में नियुक्त किये जाने,
28. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर आरक्षण दिये जाने,
29. उत्तरांचल राज्य में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों में आरक्षण दिये जाने तथा खाद्यान्न अन्त्योदय योजना का लाभार्थ सस्ता गल्ला विकताओं को दिये जाने।

22. श्री काशी सिंह ऐरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की राजधानी चन्द्रनगर गैरसैण बनाये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों/शहीदों को सम्मान दिये जाने,
3. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ते की व्यवस्था किये जाने,

4. राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परिक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परिवहन शुल्क माफ किये जाने,
5. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र खोले जाने के मानकों को शिथिल किये जाने,
6. उत्तराखण्ड के भूमिहीनों का चयन कर कम से कम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने,
7. राजस्व विभाग के अमीनों को नियमित किये जाने,
8. राज्य के प्रत्येक तहसील से राजधानी तक हाईवेक बस चलाये जाने,
9. राज्य में लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवक मंगल दलों को ग्राम सभा स्तर पर प्रशिक्षण देकर जागरूकता लाये जाने,
10. राज्य में जिला पंचायत अध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने,
11. राज्य के प्रत्येक विधान सभा के लिए 100-100 हैडपम्प स्वीकृत किये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ मनीआगर से नगरखान मोटर मार्ग के निर्माण कार्य शीघ्र किये जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा में अलई-बमनतीलाडी-खासतीलाडी मोटर मार्ग की स्वीकृति शीघ्र किये जाने,
14. विकास खण्ड धौलादेवी अन्तर्गत ग्राम सभा गिरचौला नामक स्थान पर ढीडा स्थल की स्थापना किये जाने,
15. राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने,
16. बढ़ती महंगाई पर कारगर अंकुश लगाये जाने,
17. दलित वर्गों के उत्थान हेतु विशेष योजना बनाये जाने,
18. कुटीर ज्योति योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को माफ किये जाने,
19. राज्य गठन के पूर्व गरीबों को मकान हेतु दिये गये ऋण की लम्बे समय बाद वसूली बन्द किये जाने,
20. राज्य में विशेषतया पर्वतीय क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना किये जाने,
21. सीमान्त विकास प्राधिकरण को प्रभावशाली बनाते हुए सीमान्त जिलों के विकास को सुनिश्चित किये जाने,
22. पर्वतीय क्षेत्र में मोटर मार्गों के निर्माण में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु कोई सरलीकरण स्कीम राज्य स्तर पर लागू किये जाने तथा
23. विभिन्न विभागों में दैनिक एवं कार्य प्रभारित रूप में कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित किये जाने।